न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 398/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– अनुदेवी पत्नी बागसिह 2– लेहरी देवी पत्नी दीपसिह जाति राजपुरोहित निवासी इब्रे का तला, तहसील चौहटन, जिला बाडमेर		1– जामा पुत्र मलूका 2– बबरी पत्नी मलूका (फोत) नाम विलोपित (जरिये आदेश दि0 7–3–2017) जातियान मेघवाल निवासीगण इब्रे का तलां, तहसील चोहटन, जिला बाडमेर 3– जमाला पुत्र काछबा 4– मीरू पुत्र काछबा जातियान मुसलमान निवासी इब्रे का तलां, तहसील चौहटन, जिला बाडमेर 5– भीखसिह पुत्र महादानसिह जाति राजपूत निवासी इब्रे का तलां, तहसील चौहटन जिला बाडमेर 6– बागसिह पुत्र द्वारका सिह जति राजपुरोहित, निवासी इब्रे का तलां, तहसील चौहटन, जिला बाडमेर 7– कृष्णदान पुत्र गुलाराम जाति मेघवाल निवासी गांव कोनरा, तहसील चौहटन जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 24–7–2012 जो उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा प्रकरण संख्या 174/2011 अनवान जामा बनाम जमाला वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री महेश मेहता अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री के.सी.चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 22–11–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का खेत मौजा इब्रे का तलां मे खसरा नंबर 793/603 रकबा 50 बीघा किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है, जिसकी नकल खतौनी एवं नक्शा संवत 2066 से 2069 सलंग्न कर कथन किया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांट) के खेत सेढा–सेढ मे आया हुआ है जो पुरानी माठे व कणे होने से आंधियो की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण को खेतो के सेढो का सही ज्ञान नही हो रहा है तथा प्रार्थीगण तथा

विप्रार्थीगण के खेतो मे सेढो पर कोई किसी प्रकार की पक्की या कच्ची माठ या सीमा चिन्ह आदि अंकित नही होने से सेढो को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इसलिए अपने खेत की पक्की नेखमबंदी का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो को जरिये नोटिस तलब कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–7–2012 के द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स विवादित खसरा नंबर 793/603 के पडौसी खातेदार है तथा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने जानबूझकर अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया इसलिए रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकारो के कुसंयोजन के कारण चलने योग्य ही नही होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट का अपने खातेदारी की भूमि पर पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उपरोक्त खसरान मे पुरानी माठ भी बनी हुई है परंतु राजस्व कर्मचारियो ने मौके पर मोजुद अलामात की अनदेखी करते हुए एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार कर उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे तरमीम कर दी जबकि मौका रिपोर्ट पक्षकारो को सूचित किये बिना तथा उनकी गैर हाजरी मे एकतरफा तैयार की गई होने से उसके आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य हे ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–7–2012 को अपास्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे सभी पडौसी खातेदारो को पक्षकार बनाया था जिनमे अपीलांट संख्या 1 अनुदेवी के पति बागसिह को भी पक्षकार बनाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की रिपोर्ट तलब कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपने खातेदारी की भूमि के सीमाज्ञान संबंधी कोई सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सीमाज्ञान रिपोर्ट के ही सीधे ही रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र मे वर्णित खेत खसरा नंबर

793/603 कुल रकबा 50 बीघा भूमि की नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिश्नर नियुक्त करते हुए पालना रिपोर्ट पेश करने का आदेश पारित कर दिया जबकि नेखमबंदी के आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाधीन भूमि की सीमाज्ञान/पैमाईश रिपोर्ट पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे प्राप्त किया जाना आवश्यक है, ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–7–2012 की पालना मे सम्पन्न नेखमबंदी बाबत जो रिपोर्ट दिनांक 3–3–2013 को तैयार की गई, उसकी प्रति अपीलांट अधिवक्ता ने इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत अपील के साथ फार्म नंबर 3 के सलंग्न प्रस्तुत की है, उक्त नेखमबंदी रिपोर्ट पर भी अपीलांट के उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर नही है अथार्त उक्त मौका रिपोर्ट भी अपीलांटगण की अनुपस्थिति मे तैयार की जाना प्रकट होता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–7–2012 निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सभी पडौसी खसरा नंबरान के खातेदारो को पक्षकार बनाते हुए उन्हे नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पहले अपीलाधीन भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट अपीलांटगण एवं पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे तैयार करवाये तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट पर किसी खातेदार को आपत्ति हो तो पहले उक्त आपत्ति का निराकरण करने के बाद पुनः नये सिरे से नेखमबंदी बाबत विधिसम्मत आदेश पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 22–11–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर